राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–12)विभाग

क्रमांक : प.1(16)गृह–12/कारा/2004 पार्ट जयुपर,दिनांक 29 MAY 2019

:: आदेश ::

कारागार विभाग की कारापाल से उपाधीक्षक के पद पर वर्ष 2014–15 की विभागीय समिति की दिनांक 15.12.2014 को सम्पन्न बैठक में श्री श्रवणलाल कारापाल के विरूद्ध महानिदेशालय कारागार के ज्ञापन कमांक वि0जा0प्र0/2014/19929–30 दिनांक 01.08.2014 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 तहत आरोप पत्र जारी किये जाने तथा जांच लंम्बित होने के कारण इनके प्रकरण में लिफाफा बन्द रखते हुए इनके लिए पद आरक्षित रखे जाने की अनुशंषा की गई।

प्रकरण में जारी ज्ञापन दिनांक 01.08.2014 में महानिदेशक कारागार के आदेश क्रमांक वि0जा0प्र0/2018/36016–21 दिनांक 24.09.2018 द्वारा आरोप से मुक्त किये जाने के कारण श्री श्रवणलाल विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति के पात्र है।

अतः राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा के उपाधीक्षक के पद पर वर्ष 2014–15 की रिक्ति के विरूद्ध श्री श्रवणलाल, कारापाल को उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री श्रवणलाल, का पदस्थापन केन्द्रीय कारागृह, कोटा पर उपाधीक्षक के रिक्त पर किया जाता है।

आज्ञा से,

-Sd-
(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री श्रवणलाल, कारापाल मार्फत महानिदेशक कारागार, राजस्थान,जयपुर।
9. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6)विभाग को अपलोड करने हेतु।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,